

10/50
27/4

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

28

क्रमांक: प.2(157)कार्मिक/क-3/97

जयपुर, दिनांक: 10.08.2001

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,
समस्त सम्भागीय आयुक्त एवं
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)

परिपत्र

विषय: - लोक सेवा के अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्देश।

प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प.6(23)प्र.सु./अनु.3/93, दिनांक 16.6.93 एवं आज्ञा संख्या प. 6(18)प्र.सु./अनु-3/99 दिनांक 19.4.99 द्वारा अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के निलम्बन के प्रकरण एवं वे प्रकरण जिनमें आरोप पत्र जारी नहीं हुए हैं, का पुनर्विलोकन करने, निलम्बित रखने या बहाल करने संबंधी निर्णय लेने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग के मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त आज्ञाओं के संबंध में कुछ विभागों द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, उन्हें समिति के समक्ष पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत कर बहाल किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है:-


1. इस विभाग के आदेश क्रमांक प.2(31)कार्मिक/क-3/96 दिनांक 14.12.2000 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जावे तो संबंधित लोक सेवक को बिना किसी अपवाद के तुरन्त निलम्बित किया जावे। इस प्रकार के प्रकरणों में निलम्बित

लोक सेवकों को तब तक बहाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त न कर दिया जावे।

2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में वर्णित मामलों (Trap Cases) के अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित समस्त प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ सम्बन्धित लोक सेवक को निलम्बित किया जाना अनिवार्य होगा; यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो। इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित लोक सेवकों को तब तक निलम्बन से बहाल नहीं किया जाना है जब तक कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।


3. हत्या, दहेज मृत्यु (dowry death), बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों (grievous offences) एवं नैतिक अक्षमता (moral turpitude) से संबंधित प्रकरणों में यदि पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जाता है तो संबंधित लोक सेवक को तुरन्त निलम्बित करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित लोक सेवकों को तब तक निलम्बन से बहाल नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित लोक सेवक को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त न कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रथम न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे लोक सेवक को साधारणतः निलम्बन से बहाल कर दिया जाना चाहिए, चाहे राज्य सरकार ने ऐसे प्रकरणों में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर भी कर दी हो।


शासन सचिव

प्रतिलिपि निर्माकित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, कार्मिक मंत्रो, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

LRN 3479

15/9

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक: भ्रनिब्यूरो/संस्थापन/11/2001/ 5047 दिनांक: 7/9/2001

प्रतिलिपि :-

- 1- उप पुलिस महानिरीक्षक, §1/2§, भ्र. नि. ब्यूरो जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, §1/2§, भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर।/अजमेर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर
- 3- समस्त अतिरिक्त/उप पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. ब्यूरो ---
- 4- उप निदेशक अभियोजन/राजस्व/तकनीकी, भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर।
- 5- समस्त निजी सहायक, भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर।
- 6- समस्त शाखा प्रभारी, भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर।